

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD  
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

**TECHNICAL BID**

**Rate contract for supply of cement bags (As per BIS specification for ORDINARY PORTLAND CEMENT, 43 GRADE, 53 GRADE and 33 GRADE) AT KVSS/GSS across Rajasthan during 2017-18.**

**Office of the Managing Director,  
Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd  
4, Bhawani Singh Road, Jaipur.**

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD  
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

## **INDEX**

<b>S.No</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page Number</b>
1	NIT	1
2	General Instruction to Bidders	3-4
3	Instruction for Technical Bid <ul style="list-style-type: none"><li>• Scope of Bid</li><li>• Submission of Bid Application</li><li>• Details of Fees</li><li>• Employer Rights</li></ul>	5-7
4	Application Form	8-9
5	Declaration of the black list (Annexure. "A")	10
6	Declaration of the bidder ( Annexure. "B")	11

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD  
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

**E-tender No. RAJFED/Agri/2017-18 /161-164**

**Offers are invited for rate contract from manufacturers of cement bags (As per BIS specification for ORDINARY PORTLAND CEMENT, 43 GRADE, 53 GRADE and 33 GRADE)for supply AT KVSS/GSS across Rajasthan during 2017-18 through RAJFED.** The last date of downloading and uploading the bids is 26.5.2017 Offer forms, Terms & Conditions with detail specifications can be Downloaded from the **Website <http://eproc.rajasthan.gov.in>, [rajfed.gov.in](http://rajfed.gov.in), [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) from 24.4.2017** Pre bid meeting will be held on 10.5.2017 at 11.30 am at RAJFED head office. Any amendments/corrigendum will be uploaded on the above websites.

Managing Director

(2)

राजस्थान राज्य सहकारी कय विकय संघ लि0,  
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : [rajfed\\_agri.input@yahoo.com](mailto:rajfed_agri.input@yahoo.com)

### बोली हेतु सामान्य निर्देश

1. ई-बोली में भाग लेने की इच्छुक फर्म का अधिकृत वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीबद्ध होना आवश्यक है । सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार बोली लगाने वाली फर्म के लिए Digital Signature Certificate अनिवार्य है, जो अनुमोदित प्रमाणीकरण संस्था यथा TCS, safecrypt, Ncode etc. से प्राप्त किया जा सकता है । अधिक जानकारी अथवा अन्य सहायता हेतु किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे के मध्य e-Procurement Cell, RISL में उनके योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर स्थित कार्यालय में अथवा toll free Phone No. 1800.3070.2232 (any time) पर सम्पर्क कर सकते है ।
2. बोली लगाने वाली फर्म के ऑनलाइन बोली के प्रशिक्षणार्थ e-Procurement Cell, RISL में उनके योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर स्थित कार्यालय में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है, इच्छुक बोली लगाने वाले वहाँ सम्पर्क कर सकते है ।
3. सशर्त बोली मान्य नहीं होगी ।
4. बोली लगाने वाले डिमान्ड ड्राफ्ट के अतिरिक्त बोली से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के दस्तावेज व्यक्तिशः राजफैड कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करें ।
5. तकनिकी बिड् में सफल रहे बोली लगाने वालों की वित्तीय बिड् राजफैड कार्यालय में दिनांक 31.5.2017 को अपराह्न 3.30 बजे खोली जावेगी ।
6. किसी भी बोली या समस्त बोलियों को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राजफैड के प्रबन्ध निदेशक को होगा ।

**बोली के साथ निम्नांकित दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है, इनके अभाव में बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :-**

- (i) कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र ।
- (ii) राज्य सरकार जहाँ पर उत्पादन प्लान्ट स्थित है, द्वारा जारी उत्पादन लाईसेन्स ।
- (iii) उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु लाईसेन्स ।
- (iv) कम्पनी की सीमेन्ट उत्पादन क्षमता का सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र ।
- (v) गत दो वर्षों की ऑडिटेड बैलेन्स शीट ।
- (vi) आयकर PAN CARD एवं बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाण पत्र ।
- (vii) सीमेन्ट निर्माण का न्यूनतम 500 करोड रू. वार्षिक कारोबार का प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा ।

(3)

(viii) सीमेन्ट के Dealer network के कारोबार का प्रमाण।

(x) कम्पनी द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने एवं बिलिंग हेतु अधिकृत प्रतिनिधी/अधिकारी का ओथरिटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधी का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष सहित।

(xi) निर्माता को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यवहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।

(xii) गुणवत्ता हेतु राष्ट्रीय (बीआईएस मानक) का वैद्य प्रमाण पत्र।

9. बोली में प्रति मै.टन की बिलिंग दरें, सभी प्रकार के करों सहित एवं एफ.ओ.आर.

डेस्टीनेशन सहित अंकित करनी होगी।

10. बोली प्रपत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में ही भरा जावे।

11. बोली दस्तावेज शुल्क राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) के भुगतान के डिमाण्ड ड्राफ्ट्स राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि० के नाम जयपुर में भुगतान योग्य तथा प्रोसेसिंग फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट MD, RISL, के नाम जयपुर में भुगतान योग्य होने चाहिए। बोली लगाने वाले को बोली दस्तावेज शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, प्रतिभूति राशि का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट्स के माध्यम से करना होगा एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी बोली के साथ अपलोड करनी होगी तथा इनके मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट्स दिनांक 26.5.2017 को अपराह्न 1.30 बजे तक राजफैड मुख्यालय में व्यक्तिशः जमा कराना सुनिश्चित करें, इनके अभाव में बिड स्वीकार्य नहीं होगी। तकनिकी बिड दिनांक 26.5.2017 को अपराह्न 3.30 बजे खोली जावेगी।

12. बोली लगाने वाली फर्म के गठन के स्वरूप में किसी भी परिवर्तन की सूचना फर्म द्वारा राजफैड कार्यालय को 07 दिवस में आवश्यक रूप से देनी होगी तथा ऐसे परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से मूल फर्म को मुक्त नहीं किया जायेगा।

13. कम्पनी द्वारा राजफैड/समिति को वांछित मात्रा में एवं बताये गये स्थानों पर सीमेन्ट सप्लाई किया जावेगा तथा डिस्पेच के पूर्व कम्पनी की फ़ैक्ट्री की प्रयोगशाला में सेम्पल टेस्ट करवाना होगा तथा जाँच के पश्चात् गुणवत्ता के मापदण्डों के अनुरूप सही पाये जाने पर ही सीमेन्ट की आपूर्ति की जावेगी। आपूर्ति पर सीमेन्ट की गुणवत्ता की समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी की होगी।

14. गुणवत्ता में यदि किसी समिति/राजफैड के खिलाफ न्यायालय में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस वाद में समिति/राजफैड द्वारा किये गये समस्त व्यय का भुगतान संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा।

15. सीमेन्ट निर्माता को प्रत्येक बैग पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) तथा क्वालिटी सर्टीफाईड की सील अंकित करनी होगी। अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

16. ऑफर देने वाली फर्म अपने ऑफर अथवा उसके किसी भाग को ना तो किसी अन्य एजेंसी को सौंप सकेगी और ना ही सबलेट कर सकेगी।

(4)

राजस्थान राज्य सहकारी क्य विक्रय संघ लि०,  
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

**तकनिकी बिड हेतु निर्देश**

**कार्य का नाम** : पंजीकृत निर्माता कम्पनियो से सीमेन्ट बैग (As per specification of Indian Standard for ORDINARY PORTLAND CEMENT, 43 GRADE, 53 GRADE and 33 GRADE AT KVSS/GSS throughout Rajasthan) एफ.ओ.आर आपूर्ति हेतु।

**नियोक्ता का नाम** : प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी क्य विक्रय संघ लि०, जयपुर

**1. बोली का विस्तृत विवरण :**

कार्य का विवरण : पंजीकृत निर्माता कम्पनियों से सीमेन्ट (As per specification of Indian Standard for ORDINARY PORTLAND CEMENT, 43 GRADE, 53 GRADE and 33 GRADE AT KVSS/GSS throughout Rajasthan) एफ.ओ.आर आपूर्ति हेतु।

S.No	Item	Details
1	कार्य की अनुमानित लागत	क्रेता विभाग के प्रदाय आदेशों के मूल्य अनुसार
2	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)	10.00 लाख रु.
3	अनुमानित मात्रा	क्रेता विभाग के प्रदाय आदेशों के अनुसार
4	बोली दस्तावेज शुल्क प्रोसेसिंग फीस	1,000 रु.
5	बोली दस्तावेज शुल्क राशि	5,000 रु.
6	कार्यावधि	मार्च, 2018 तक
7	प्रि-बिड बैठक	दिनांक 10.5.2017 को प्रातः 11.30 बजे राजफैड मुख्यालय में
8	बोली दस्तावेज डाउनलोडिंग अवधि	दिनांक 26.5.2017 को प्रातः 11.30 बजे तक
9	बोली दस्तावेज अपलोडिंग की अन्तिम तिथि	दिनांक 26.5.2017 को अपरान्ह 1.30 बजे तक
10	तकनिकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 26.5.2017 को अपरान्ह 3.30 बजे
11	तकनिकी बिड खोलने का स्थान	राजफैड मुख्यालय, 4, भवानीसिंह रोड, जयपुर
12	वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 31.5.2017 को अपरान्ह 3.30 बजे
13	कार्यादेश जारी करने का संभावित माह	June, 2017
14	बोली की वैधता	तकनिकी बिड खोलने के 90 दिवस तक

## 2. आवेदन पत्र की प्रस्तुति :

- यह ऑनलाइन ई-बोली प्रक्रिया दो लिफाफा पद्धति पर आधारित होगी, प्रथम लिफाफे अंतर्गत तकनीकी बिड प्रपत्र एवं बोली हेतु क्रम संख्या 3 के अनुसार वांछित भुगतान प्रमाण की स्केन प्रतियाँ एवं सामान्य निर्देशों के क्रम संख्या 8 पर अंकित दस्तावेजों की स्केन कोपियाँ तथा द्वितीय लिफाफे अंतर्गत वित्तीय बिड प्रपत्र अपलोड किये जावेंगे।
- बिड हेतु वांछित समस्त आवश्यक सूचनाएँ एवं वे समस्त दस्तावेज बोली लगाने वाली फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जावें, जो बोली की योग्यता के निर्धारण हेतु आवश्यक हों, के अभाव में असफल घोषित कर दिया जावेगा।
- बोली लगाने वाले द्वारा सही एवं सत्य सूचनाएँ उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- तकनीकी बिड में सफल रहे बोली लगाने वाले की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

## 3. शुल्क विवरण :

- बोली दस्तावेज शुल्क राशि ₹0 5,000/- का भुगतान राजस्थान राज्य सहकारी क्य विक्रय संघ लि0 के नाम से जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा।
- बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) राशि ₹0 10.00 लाख रु. का भुगतान राजस्थान राज्य सहकारी क्य विक्रय संघ लि0 के नाम से जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा।
- बोली प्रोसेसिंग शुल्क राशि ₹0 1,000/- का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, RISL के नाम से जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा।

## 4. योग्यता निर्धारण :

- राज्य सरकार जहाँ पर उत्पादन प्लान्ट स्थित है, द्वारा जारी उत्पादन लाईसेन्स। राजस्थान में स्थित सीमेन्ट उत्पादकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु लाईसेन्स।
- कम्पनी की सीमेन्ट उत्पादन क्षमता का सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
- गत दो वर्षों की ऑडिटेड बैलेन्स शीट।
- आयकर पैन कार्ड एवं बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- कम्पनी में सीमेन्ट का न्यूनतम 500 करोड रु. वार्षिक कारोबार का प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा।

(6)

- कम्पनी द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने एवं बिलिंग हेतु अधिकृत प्रतिनिधी/अधिकारी का ओथरिटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधी का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष सहित।
- फर्म को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/ स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यवहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।
- गुणवत्ता हेतु राष्ट्रीय (आईएस मानक) का वैद्य प्रमाण पत्र।
- आपूर्ति किये जाने वाले सीमेन्ट की गुणवत्ता IS Ordinary Portland Cement specifications 43 Grade (IS 8112:2013), 53 Grade (IS 12269:2013) and 33 Grade (IS 269:2013) के अनुसार होगी।

5. **नियोक्ता के अधिकार :**

- बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का राजफैड का अधिकार सुरक्षित रहेगा, ऐसा करने का कारण लेखबद्ध किये जावेंगे।
- राजफैड परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषय वस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिणाम से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावे या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।

6. **साइट विजिट :**

- बोली लगाने वाले की स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोलियों में वर्णित उन समस्त आपूर्ति स्थलों एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण व विश्लेषण स्वयं जाकर करें तदोपरान्त ही बोली प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करें।



(7)

राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०,  
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फ़ोन नं. 0141-2740081

फ़ैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

## आवेदन प्रपत्र

**कार्य का नाम :** निर्माता कम्पनियो से सीमेन्ट बैग (As per specification of Indian Standard for ORDINARY PORTLAND CEMENT, 43 GRADE, 53 GRADE and 33 GRADE AT KVSS/GSS throughout Rajasthan) एफ. ओ.आर आपूर्ति हेतु।

:

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता
  2. फ़ैक्ट्री का पूर्ण पता
  3. दूरभाष / मोबाइल नंबर
  4. फ़ैक्स नंबर
  5. वेब साइट
  6. ई-मेल आई.डी.
  7. निविदा कार्य संपादन हेतु : .....
- प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पता .....
- व दूरभाष नम्बर .....

(8)

8. फर्म की सीमेन्ट उत्पादन क्षमता का विवरण :- .....
- वित्तीय बिड में वर्णित F.O.R. Destination पर सीमेन्ट बैग IS Ordinary Portland Cement specifications 43 Grade (IS 8112:2013), 53 Grade (IS 12269:2013) and 33 Grade (IS 269:2013) के अनुसार होगी। आपूर्ति जिनमें लोडिंग-अनलोडिंग चार्ज, वेट, GST, सर्विस टैक्स एवं अन्य सभी प्रकार के कर समाहित है, के लिए फर्म द्वारा अंकित की गई प्रति मै.टन की दरों पर आपूर्ति करने के लिए फर्म बाध्य है।
  - Rates will be reviewed by MD Rajfed fortnightly. As the prices of cement are subject to fluctuation, rates will be fixed by committee constituted by MD RAJFED on fortnightly basis.
9. राजफैड द्वारा आदेश जारी होने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्देशित स्थान पर वांछित मात्रा में सीमेन्ट बैग की आपूर्ति की जावेगी। इस अवधि में सम्प्रेषण समय भी सम्मिलित हैं।
10. निविदा एवं संविदा में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार्य है।

**निविदा के साथ निम्नानुसार वांछित समस्त आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दिये गये हैं:-**

1. राज्य सरकार जहाँ पर उत्पादन प्लान्ट स्थित है, द्वारा जारी उत्पादन लाईसेन्स। राजस्थान में स्थित सीमेन्ट उत्पादकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु लाईसेन्स।
3. कम्पनी की सीमेन्ट उत्पादन क्षमता का सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
4. गत दो वर्षों की ऑडिटेड बैलेन्स शीट।
5. आयकर एवं बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाण पत्र। Vat and Excise clearance certificate.
6. कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
7. कम्पनी द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने एवं बिलिंग हेतु अधिकृत प्रतिनिधी/अधिकारी का ओथरिटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधी का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष सहित।
8. फर्म को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यवहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।
9. गुणवत्ता हेतु राष्ट्रीय (आईएस मानक) का वैद्य प्रमाण पत्र।
10. बोली सम्बन्धी कार्य निष्पादन हेतु प्राधिकार पत्र।
11. बिड सिक्यूरिटी, टेण्डर फार्म कोस्ट एवं प्रोसेसिंग फीस (कुल संख्या 3) के डीडी की स्केन प्रतियाँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

**Annexure - A :**

**Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest**

Any person participating in procurement process shall –

- a. not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- g. disclose conflict of interest, if any; and
- h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

**Conflict of Interest :-**

**The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of Interest.**

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
  - a. Have controlling partners/shareholders in common; or
  - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
  - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. The Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid with result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - f. The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
  - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

## DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd Jaipur (RAJFED) for empallement of manufacturers for supply of cement bag (As per specification of Indian Standard for ORDINARY PORTLAND CEMENT, 43 GRADE, 53 GRADE and 33 GRADE AT KVSS/GSS throughout Rajasthan)

For supply of cement IS Ordinary Portland Cement specifications 43 Grade (IS 8112:2013), 53 Grade (IS 12269:2013) and 33 Grade (IS 269:2013) FOR to KVSS/GSS in Rajasthan in response to their Notice Inviting Bids No ----- dated..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay any such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons “.
4. I/We do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three year preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings .
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Documents, which, materially affects fair competition.
6. I/We have visited the supply sites and fully acquainted myself/ourselves with the local situation regarding materials, labour and other factors pertaining to the work before submitting the tender of RAJFED regarding supply cement IS Ordinary Portland Cement specifications 43 Grade (IS 8112:2013), 53 Grade (IS 12269:2013) and 33 Grade (IS 269:2013) FOR to KVSS/GSS in Rajasthan.
7. I/We have carefully studied the instructions, conditions of contract and other documents of this work and I/We agree to execute the work accordingly.

Date:

Place:

Signature of Bidder :

Name :

Designation :

Address :

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD  
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

**FINANICAL BID**

FOR

supply of cement bag (As per BIS specification for ORDINARY PORTLAND CEMENT, 43 GRADE, 53 GRADE and 33 GRADE) AT KVSS/GSS across Rajasthan during 2017-18.

**Office of the Managing Director,  
Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd  
4, Bhawani Singh Road, Jaipur.**

(1)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,  
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

**बोली की शर्तें**

1. Cement IS Ordinary Portland Cement specifications 43 Grade (IS 8112:2013), 53 Grade (IS 12269:2013) and 33 Grade (IS 269:2013) की दरों का अंकन वित्तीय बिड में शब्दों एवं अंको में अनिवार्यतः किया जावे, दोनों में अन्तर पाये जाने पर शब्दों में अंकित दर सही मानी जावेगी।
2. बोली में अंकित दरें प्रति मे.टन एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन सभी करों सहित होनी चाहियें। राजफैड द्वारा उक्त स्वीकृत दर के अतिरिक्त फर्म को अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. बोली लगाने वाली फर्म जिसकी बोली स्वीकार की गई है, उसे राजफैड का पत्र प्राप्त होने के 10 दिवस में एक संविदा पत्र राजफैड के साथ निष्पादित करना होगा।
4. कम्पनी को राजफैड द्वारा आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश की दिनांक से सात दिवस के अन्दर For supply of cement IS Ordinary Portland Cement specifications 43 Grade (IS 8112:2013), 53 Grade (IS 12269:2013) and 33 Grade (IS 269:2013) की आपूर्ति करनी होगी। यदि कम्पनी द्वारा सीमेन्ट बैग की आपूर्ति के दिये गये आदेशों के विरुद्ध सात दिवस में आपूर्ति नहीं की जाती है तो निम्न स्लेब अनुसार कम्पनी द्वारा की गयी विलम्बित आपूर्ति के मूल्य में से पेनल्टी/क्षतिपूर्ती राशि की कटौति की जावेगी :-

1. आदेश दिनांक से 7 दिवस तक	—
2. आदेश दिनांक के 8 दिन से 10 दिन तक	2.5 प्रतिशत
3. आदेश दिनांक के 11 दिन से 12 दिन तक	5.0 प्रतिशत
4. आदेश दिनांक के 13 दिन से 15 दिन तक	10 प्रतिशत
5. यदि किसी कम्पनी द्वारा राजफैड के सीमेन्ट आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश के विरुद्ध 15 दिवस में आपूर्ति नहीं की जाती है तो राजफैड द्वारा आदेश निरस्त कर आदेश के मूल्य के बराबर देय अन्तर की राशि फर्म से वसूल की जावेगी।	
5. सीमेन्ट बैग की आपूर्ति के आदेश क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा अपनी वास्तविक माँग का आंकलन कर क्षेत्रीय कार्यालय/राजफैड मुख्यालय, जयपुर को भिजवाये जावेगे जिसके आधार पर राजफैड मुख्यालय द्वारा समितियों की माँग के अनुरूप संबंधित कम्पनियों को आपूर्ति आदेश दिये जावेगें।
6. समितियों को सीमेन्ट बैग आपूर्ति होने के अधिकतम 15 दिवस में राजफैड को भुगतान करना होगा एवं राजफैड द्वारा आपूर्तिकर्ता कम्पनी को समितियों से भुगतान प्राप्त होने के 7 दिवस में भुगतान किया जावेगा। खराब या एक्सपायरी डेट के पश्चात् का सीमेन्ट बैग कम्पनी द्वारा वापस उठाया जावेगा। क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा भुगतान की सूचना एसएमएस द्वारा भी राजफैड मुख्यालय को भिजवायी जावेगी। भुगतान हेतु आपूर्तिकर्ता कम्पनियों द्वारा बिल के साथ निम्न सूचनायें/प्रपत्र संलग्न किये जाने होंगे:-
  1. बिलों में समस्त छूटों का इन्द्राज किया जाना आवश्यक होगा।
  2. बिलों के साथ समितियों को माल के सही हालत में प्राप्त होने संबंधी सूचना/पुष्टी पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
  3. बिल के साथ माल आपूर्ति से पूर्व में फैक्ट्री प्रयोगशाला की सेम्पल टेस्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी होगी।
  4. राजफैड की अनुमोदित दर से कम दर पर राज्य में किसी भी एजेन्ट/डीलर को सीमेन्ट की आपूर्ति नहीं गयी है, इस आशय का प्रमाण पत्र फर्म द्वारा प्रत्येक बिल पर देना होगा।

7. स्वीकृत कम्पनी के authorized super stockist द्वारा सहकारी/सरकारी क्षेत्र एवं समितियों को राजफैड के माध्यम से ही सीमेन्ट की आपूर्ति की जावेगी। किसी कम्पनी द्वारा सीधे समितियों को सीमेन्ट की आपूर्ति नहीं की जावेगी। यदि किसी कम्पनी द्वारा ऐसा न करते हुये सीधी आपूर्ति की जाती है तो उस आपूर्ति मात्रा का भुगतान राजफैड स्तर से नहीं किया जावेगा साथ ही उस कम्पनी से किया गया अनुबन्ध समाप्त कर ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
8. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा राजफैड की अनुमोदित दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को सीमेन्ट का विक्रय नहीं किया जावेगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र उनके द्वारा प्रत्येक बिल के साथ दिया जावेगा। यदि कम्पनी द्वारा राजफैड द्वारा अनुमोदित दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को सीमेन्ट का विक्रय करना पाया गया तो कम्पनी को घटी हुई दर के हिसाब से ही भुगतान किया जावेगा। घटी हुई दरों की सूचना कम्पनी/फर्म तुरन्त राजफैड को उपलब्ध करवायेगी। यदि कम्पनी/फर्म स्वतः ही इसकी सूचना नहीं देती है व तत्पश्चात् राजफैड के ध्यान में आता है कि राजफैड से कम दर पर सीमेन्ट आपूर्ति की गई है तो उस कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुये उसके माध्यम से किया जा रहा व्यवसाय समाप्त कर दिया जावेगा एवं जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. कम्पनी द्वारा राजफैड/समिति को वांछित मात्रा में एवं बताये गये स्थानों पर सीमेन्ट IS Ordinary Portland Cement specifications 43 Grade (IS 8112:2013), 53 Grade (IS 12269:2013) and 33 Grade (IS 269:2013) के प्रावधानों के अन्तर्गत सप्लाई किया जावेगा। डिस्पेच के पूर्व कम्पनी की फैक्ट्री की प्रयोगशाला में सेम्पल टेस्ट करवाना होगा तथा जॉच के पश्चात् गुणवत्ता के मापदण्डों के अनुरूप सही पाये जाने पर ही सीमेन्ट की आपूर्ति की जावेगी। आपूर्ति सीमेन्ट की गुणवत्ता की समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी की होगी।
10. गुणवत्ता के संबंध में यदि किसी समिति/राजफैड के खिलाफ न्यायालय में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस वाद में समिति/राजफैड द्वारा किये गये समस्त व्यय का भुगतान संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा।
11. सीमेन्ट की आपूर्ति नये एच.डी.पी.ई. बैग में की जावेगी। क्षतिग्रस्त एवं कटे फटे थैलों में जमा हुआ एवं ढेले वाला सीमेन्ट किसी भी स्थिति में समितियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। **Preferably it should be in different color bag with not for resale printed in bold.**
12. बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) निम्न मामलों में जब्त करने का राजफैड को पूर्ण अधिकार होगा :-
  - (i) यदि बोली लगाने वाली फर्म की बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकृत करने से पूर्व बोली लगाने वाली फर्म प्रस्ताव वापस लेती है, या उसमें परिवर्तन प्रस्तावित करती है।
  - (ii) यदि बोली लगाने वाली फर्म/बोलीदाता निर्धारित समयावधि में संविदा पत्र निष्पादित करने में असफल रहती है।
  - (iii) बोली लगाने वाली फर्म द्वारा बोली के साथ गलत/असत्य तथ्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्थिति में।
  - (iv) कम्पनी द्वारा सहकारी/सरकारी क्षेत्र एवं समितियों को राजफैड के अतिरिक्त सीधे ही आपूर्ति किये जाने की स्थिति में।
  - (v) राजफैड की स्वीकृत दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को सीमेन्ट आपूर्ति किये जाने की स्थिति में।

(3)

13. बिड प्रतिभूति राशि का पुर्नभुगतान वित्तीय वर्ष/संविदा अवधि की समाप्ति पश्चात् कार्य संतुष्टि पर किया जावेगा तथा इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
14. सीमेन्ट आपूर्ति करने में उत्पन्न बाधा यदि बोली लगाने वाली फर्म के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तथा सप्लाई अवधि समाप्ति से पूर्व राजफैड को इस बाबत सूचित कर दिया गया हो तो आपूर्ति की अवधि में परिनिर्धारित क्षति को क्षति-रहित करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार राजफैड के प्रबन्ध संचालक को होगा।
15. किसी भी प्रकार के मतभेद उत्पन्न होने पर प्रबन्ध संचालक, राजफैड का निर्णय अंतिम होगा जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।
16. अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इन्हीं शर्तों एवं अनुमोदित दरों पर संविदा अवधि में अभिवृद्धि की जा सकेगी।
17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल जयपुर होगा।
18. जिन निर्माताओं के उत्पादन प्लान्ट राजस्थान में स्थित है, प्राथमिकता दी जावेगी।
19. गत 2 वित्तीय वर्ष 2015-16 व 16-17 में आवेदक कम्पनी के सीमेन्ट व्यवसाय का टर्नओवर न्यूनतम 500 करोड रु. का होना चाहिये।
20. वेट एवं एक्साईज क्लीयरेंस सर्टिफिकेट तकनिकी बिड के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
21. चयनित आवेदक द्वारा राजस्थान में एफ.ओ.आर. क.वि.स.स./ग्रा.से.स.स. पर सीमेन्ट की आपूर्ति स्वयं के खर्च पर की जावेगी। परिवहन हेतु उन्हें अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
22. सीमेन्ट की दरें प्रबन्ध संचालक, राजफैड द्वारा गठित कमेटी द्वारा प्रत्येक 15 दिवस में निर्धारित की जावेगी।
23. सीमेन्ट की आपूर्ति आरटीटीपीई एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत की जावेगी।
24. प्रथम अपिलीय अधिकारी टेण्डर कमेटी अध्यक्ष, राजफैड होंगे।
25. द्वितीय अपिलीय अधिकारी प्रबन्ध संचालक, राजफैड होंगे।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर